राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1499/2017

नृपत लाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. सामान्य पुलिस निदेशक, जयपुर, राजस्थान।
3. सामान्य पुलिस निरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर।
4. पुलिस अधीक्षक, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.10.2017
आदेश की दिनांक : 14.05.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कुणाल रावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेनत राम देवड़ा, सदस्य
लेखरज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी का प्रतियोगी परीक्षा की चयन प्रक्रिया पूरी करने पर वर्ष 2005 में कांस्टेबल के पद पर चयन हुआ एवं वर्तमान में पुलिस लाईन अजमेर में पदस्थापित है। अपीलार्थी का बेल्ट न. 516 है। अपीलार्थी अनुसूचित जाति संवर्ग से है परंतु उसका चयन उच्च अंक अर्जित करने से सामान्य कोटे के विरूद्ध किया गया। अपीलार्थी ने उम्र एवं शारीरिक मानदण्डों में किसी छूट का उपयोग नहीं किया। प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2011–12 के हेड कांस्टेबल (बैंड) की रिक्तियों को भरने हेतु अधिसूचना जारी की। अपीलार्थी पात्र एवं योग्य होने से उसने इसमें भाग लेने हेतु आवेदन किया। प्रत्यर्थी विभाग ने उसे परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देकर रोल नम्बर 15 आवंटित किया। अपीलार्थी द्वारा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आउटडोर एवं शारिरीक टेस्ट हेतु बुलाया गया। इसको उत्तीर्ण करने पर अपीलार्थी ने साक्षात्कार में भाग लिया परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसको चयनित नहीं किया। प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2012–13 के हेड कांस्टेबल (बैंड) की रिक्तियों की अधिसूचना 25.03.2016 को जारी की। अपीलार्थी पात्र एवं योग्य होने से आवेदन किया। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर रोल न. 9 आवंटित किया। अपीलार्थी द्वारा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उसे आडटडोर एवं शारीरिक टेस्ट हेतु बुलाया परंतु उसे साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया जबकि वह कानूनी रूप से साक्षात्कार में बुलाने हेतु पात्र था। अपीलार्थी ने एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी संख्या 3 को प्रस्तुत कर

निवेदन किया कि अपीलार्थी ने भर्ती के समय आरक्षण का लाभ नहीं उठाया है। अतः उसे सामान्य वर्ग की हेड कांस्टेबल (बैंड) की रिक्ती के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार किया जावे। (अनुलग्नक–1) इस पर प्रत्यर्थी संख्या 3 ने एक पत्र पुलिस मुख्यालय को दिनांक 11.04.2016 प्रषित कर मार्गदर्शन चाहा (अनुलग्नक–2) महानिरीक्षक पुलिस/मुख्यालय जयपुर ने पत्र दिनांक 25.04.2016 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 को सूचित किया कि अपीलार्थी को सामान्य वर्ग की रिक्ती के विरूद्ध नियुक्त नहीं किया जा सकता (अनुलग्नक–3) लेकिन उसमें कोई कारण नहीं बताया। अपीलार्थी ने कांस्टेबल (बैंड) के पद पर वर्ष 2005 में नियुक्ति के समय आरक्षण का कोई लाभ नहीं लिया। अपीलार्थी अपनी मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग के विरूद्ध चयनित एवं नियुक्त हुआ है। अतः वर्ष 2011–12 की हेड कांस्टेबल (बैंड) की सामान्य वर्ग की रिक्ती के विरूद्ध पदोन्नति हेतु पूर्णतः पात्र एवं योग्य है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.03.2014 के अनुसार जिस एससी/एसटी/ओबीसी अभ्यर्थी का चयन अपनी मेरिट/योग्यता के आधार पर आरक्षण का लाभ लिए बिना हुआ है वह अनारक्षित पदों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु पात्र है। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उसके अर्जित अंकों एवं चयन मंडल की अभिशंषा की सूचना प्राप्त की। (अनुलग्नक–5) अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में एसबीसीडब्ल्यू पिटीशन संख्या 14263/2016 दायर करने पर माननीय उच्च न्यायालय ने अधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की वैकल्पिक राहत उपलब्ध होने के आधार पर याचिका खारिज कर दी (अनुलग्नक–6)।

अपीलार्थी ने महानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय) जयपुर के आदेश दिनांक 25.04.2016 को अपास्त करने एवं अपीलार्थी को हेड कांस्टेबल (बैंड) अजमेर रेंज के वर्ष 2011–12 की सामान्य वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान करने एवं जिस तिथी से समान पदस्थापित कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की है उस तिथी से पारिमाणिक परिलाभ प्रदान करने का अनुतोष चाहा है।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब पेशकर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने वर्ष 2005–06 में कांस्टेबल (बैंड) के लिए पुलिस मुख्यालय राजस्थान द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 3751 दिनांक 14.06.2005 एवं संशोधित पत्र क्रमांक 1020 दिनांक 20.02.2006 में आवेदन किया। अपीलार्थी का वर्ग एससी में रोल न. 34158में कानि. (बैंड) के पद पर चयन किया गया। उस विज्ञप्ति के अनुसरण में विधिवत परीक्षा के उपरान्त अपीलार्थी को गठित चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 23.03.2006 को अनुसूचित जाति संवर्ग में चयन किया। वर्ष 2011–12 के लिए अजमेर जिला में (बैंड) कानि से हैड कानि योग्यात्मक परीक्षा हेतु आवेदन मांगे गये थे। अपीलार्थी ने आवेदन किया जिस पर अपीलार्थी को रोल न. 15 आंवटित किये गये। अपीलार्थी ने

योग्यात्मक परीक्षा उत्तीर्ण भी की थी। लेकिन वर्ष 2011–12 की कानि (बैंड) से हैड कानि (बैंड) की योग्यात्मक परीक्षा एससी वर्ग का होने से चयन नहीं किया जाकर एक पद सामान्य कानि (बैंड) का रिक्त रखा गया। कानि (बैंड) तकनीकी से हैड कानि (बैंड) तकनीकी के 2 सामान्य वर्ग के पदो की योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2012–13 की पुलिस महानिरीक्षक अजमेर रेंज अजमेर के क्रमांक 1113–1118 दिनांक 25.03.2016 को जारी की गई। उक्त वित्तीय वर्ष की परीक्षा में अपीलार्थी द्वारा आवेदन किया गया जिसमें अपीलार्थी को योग्यात्मक परीक्षा में बैठने बाबत रोल न. 09 आंवटित किये गये व अपीलार्थी उत्तीर्ण रहा लेकिन उक्त वित्तीय वर्ष 2012–13 में सामान्य वर्ग में 2 पद होने से अपीलार्थी को एससी वर्ग में होने से चयन सूची में नहीं लिया गया। अपीलार्थी पुलिस महानिरीक्षक अजमेर जिला के पास प्रार्थना पत्र सहित पेश हुआ तथा वर्ष 2011–12 में कानि (बैंड) से हैड कानि (बैंड) की चयन सूची में नहीं आने से पुलिस मुख्यालय जयपुर को पुलिस महानिरीक्षक अजमेर जिला द्वारा पत्रांक 1391 दिनांक 11.04.2016 को अपीलार्थी के संबंध में कानि (बैंड) से सामान्य अभ्यार्थियों के विरूद्ध चयनित मानते हुये वर्ष 2011–12 के रिक्त रहे पद पर पदोन्नति हेतु चयन सूची में लिया जाये अथवा नहीं बाबत मार्गदर्शन चाहा गया। जिस पर पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा जरिये पत्रांक 2064 दिनांक 25.04.2016 के आदेशित किया कि नरपत लाल कानि (बैंड) का जिला अजमेर का चयन भर्ती बोर्ड द्वारा वर्ष 2005 में कानि (बैंड) में अनुसूचित जाति में किया गया। जिला अजमेर में वर्ष 2011–12 में कानि (बैंड) से हैडकानि (बैंड) के 02 पद सामान्य वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध 01 कानि (बैंड) को सामान्य वर्ग को वरिष्ठतानुसार चयनित किया गया एवं दूसरे पद के लिये सामान्य वर्ग का कानि (बैंड) उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त रखा गया। श्री नरपत लाल कानि (बैंड) एससी वर्ग चयनित किया जाना नियमानुसार उपयुक्त नहीं है। अपीलार्थी को वर्ष 2005–06 विज्ञप्ति के अनुसरण में विधिवत परीक्षा के उपरान्त चयन बोर्ड द्वारा अनुसूचित जाति में चयन दिनांक 23.03.2006 को अनुसूचित जाति संवर्ग में किया गया।

अपीलार्थी ने जवाब उल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्ष 2005 में अपीलार्थी का चयन सामान्य श्रेणी के आधार पर किया गया था उसने आयु सीमा लम्बाई आदि में कोई छूट प्राप्त नहीं की है। सेवा पुस्तिका में प्रार्थी का एससी वर्ग का होने के कारण जाति का इन्द्राज कर चयन किया है। वर्ष 2005 में कांस्टेबल की सलेक्शन शीट जो आरटीआई के तहत प्राप्त की वह सलंग्न प्रस्तुत की है। अतः सामान्य श्रेणी में चयनित होने से सामान्य श्रेणी के हैड कांस्टेबल (बैंड) के पद पर वर्ष 2011–12 में पदोन्नति का अनुतोष चाहा गया।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी अनुसूचित जाति संवर्ग से है एवं अपील के अनुसार वर्ष 2005 की भर्ती विज्ञप्ति में उसे कांस्टेबल (बैंड) के सामान्य श्रेणी के पद के विरूद्ध उसकी मेरिट के आधार पर चयन किया गया है। अतः उसे अजमेर में वर्ष 2011–12 की हैड कांस्टेबल (बैंड) की सामान्य वर्ग की उपलब्ध रिक्ती के विरूद्ध सामान्य श्रेणी में पदोन्नति प्रदान की जावे एवं सभी लाभ प्रदान किए जावे।

उपलब्ध रिकॉर्ड में यह पूर्णतः अस्पष्टता है कि अपीलार्थी का चयन सामान्य श्रेणी के पदों के विरूद्ध उसकी मेरिट के आधार पर हुआ है अथवा अनुसूचित जाति की श्रेणी में चयन हुआ है। जारी भर्ती विज्ञप्ति दिनांक 14.06.2005 में जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर में कांस्टेबल (बैंड) के 5 पद रिक्त दर्शाये गये है एवं सभी श्रेणीयों के कांस्टेबल के कुल रिक्त 104 पदों में अनुसूचित जाति हेतु कोई पद आरक्षित नहीं है। साथ ही महानिरीक्षक पुलिस अजमेर द्वारा पुलिस मुख्यालय के लिखे गये पत्र दिनांक 11.04.2016 से यह अंकित है कि वर्ष 2005 में श्री नरपत लाल का चयन अनुसूचित जाति संवर्ग में किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के जवाब के साथ चयन मंडल का कार्यवाही विवरण में भी अपीलार्थी का चयन एससी वर्ग बैंड में किया जाना पाया जाता है। जबकि अपीलार्थी द्वारा रिजोईडंर के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात में चयन मंडल ने अपीलार्थी का चयन सामान्य श्रेणी में करना पाया जाता है।

प्रस्तुत दस्तावेजों के विश्लेषण से हमारा यह मानना है कि अपीलार्थी अनुसूचित जाति का होने से उसका चयन कार्यवाही में अनुसूचित जाति अंकित किया है एवं उसका चयन सामान्य वर्ग की रिक्ती के विरूद्ध हुआ है क्योंकि 2005 की भर्ती विज्ञप्ति में एसपी अजमेर हेतु अनुसूचित जाति का कोई पद भर्ती हेतु रिक्त उपलब्ध नहीं था।

विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि कोई आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ नहीं लेते हुए अपनी योग्यता/मेरिट के आधार पर अनारक्षित पद के विरूद्ध चयनित होता है तो उसको सेवाकाल में पदोन्नति सामान्य अभ्यर्थी मानते हुए दी जायेगी या संबंधित आरक्षित वर्ग का कर्मचारी मानते हुए पदोन्नति आरक्षित पदों के विरूद्ध दी जायेगी।

अपीलार्थी ने अपनी अपील के साथ कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.03.2014 प्रस्तुत कर सामान्य वर्ग के पद के विरूद्ध पदोन्नति चाही है। इस परिपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह परिपत्र माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डीबी सिविल सोशल अपील (रिट) संख्या 769/2012 सजंय सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2014 की अनुपालना में पूर्व में जारी परिपत्रों का

अतिक्रमण कर जारी किया है। इस परिपत्र को बिंदू संख्या (ख) प्रासंगिक है जो नीचे उद्त किया जा रहा हैः–

''(ख) यदि अ.जा./अ.ज.जा. का कोई अभ्यर्थी इन प्रवर्गो के अभ्यर्थियों को उपलब्ध विशेष रियायतों में से किसी का भी लाभ उठाये या बिना लाभ उठाये अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित प्रवर्ग की रिक्तियों के प्रति चयनित हो जाता है तो अ.जा./अ.ज.जा. का ऐसा अभ्यर्थी उत्तरभावी पदोन्नतियों एवं समस्त सेवा संबंधी मामलों के लिए यथा स्थिति अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थी के रूप में माना जायेगा। ''

इसके पश्चात कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 26.07.2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील से 3609/2012 दीया ई.वी. बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.04.2017 की अनुपालना में पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 04.03.2014 के अतिक्रमण कर नया परिपत्र जारी किया है। इसका बिंदू संख्या (बी) प्रांसगिक है जो नीचे उद्त हैः–

> "(b). If any SC/ST candidate gets selected against the UR category vacancies on the basis of his merit without avalling of any of the special concessions which are available to the candidates belonging to these categories, except the concession of fees, such a. SC/ST candidate will, be treated as a SC/ST candidate, as the case may be, for all further services matters, including further, promotions, and all the benefits which are admissible to the other. SC/ST persons under the various service rules/goverr ment instructions shall be admissible to them."

उक्त से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की पदोन्नतियां आरक्षित श्रेणी का कर्मचारी मान कर की कर की जायेगी। जिला अजमेर में हैड कांस्टेबल (बैंड) के वर्ष 2011–12 में कुल 2 रिक्ती थी जो अनारक्षित वर्ग के लिए थी। इसमें सामान्य वर्ग का एक कर्मचारी पात्र पाये जाने से वरिष्ठता के आधार पर उसकी पदोन्नति की अभिशंषा गठित बोर्ड द्वारा की जाकर एक पद योग्य कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने पर रिक्त रखा गया। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के अनुसार अपीलार्थी सामान्य वर्ग के रिक्त पद पर पदोन्नति हेतु पात्र नहीं है। अतः प्रत्यर्थी विभाग की कार्यवाही नियमानुसार होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य